संख्या—1001 / 71—4—18—37 / 2015

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—4 लखनऊ : दिनांक 18 जून, 2018

विषयः— निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—एम0ई0—1 / 2018 / 2320 दिनांक 13.06.2018 एवं पत्र संख्या—एम0ई0--3 / 2018 / 2328 दिनांक 13.06.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा—4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेंण्टल कालेजों द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस / शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—4 की विज्ञप्ति संख्या—182 / 71—4—2018—37 / 2015 दिनांक 27.03.2018 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3— उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा—10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैः—

10—(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी—

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप
(दो) उपलब्ध अवसंरचना
(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत
(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय
(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर—शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय
(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

4— निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की फीस निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव / निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित कालेजों के चेयरमैन / प्रधानाचार्यो से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा सदस्य सचिव, फीस नियमन समिति द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त के कम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.06.2018 के माध्यम से संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों को समिति के सहयोगार्थ आबद्व चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से परीक्षण कराते हुए उपलब्ध कराया गया।

5— फीस नियमन समिति द्वारा उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा—10 (2) के अन्तर्गत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिथियों को दिनांक 15.06.2018 की बैठक में आमंत्रित किया गया।

6— सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार—विमर्श के उपरान्त उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा—10 (1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा धारा—10(1)(छः) में पूर्व में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित किए गये निम्नलिखित मानदण्डों को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारित किए जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

1. आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम—2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।
2. विगत वर्ष संस्था की वर्ष 2016—17 **Audited Balance Sheet** के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2017—18, 2018—19 एवं 2019—20 के लिए शुल्क निर्धारित आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष **Inflation** की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है। तदनुसार उक्त **Inflation** की दर के आधार पर वर्ष 2018—19 एवं 2019—20 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह **Inflation** की दर केवल **Variable Cost** (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।
3. **Fixed Asset** पर मात्र **SLM (Straight Line Depreciation Method)** के आधार पर **Depreciation** ही अनुमन्य कराया गया है।
4. जहॉं **UG & PG Courses** दोनों संचालित है एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहॉं व्यय 70:30 **UG:PG** का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में **Nursing Courses** या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित है एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग **Nursing Courses** या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

   डेण्टल कालेज, आजमगढ़ के संबंध में पी0जी0 पाठ्यक्रम की फीस का निर्धारण शैक्षणिक सत्र 2018—19 के लिए भी 90 : 10 का अनुपात रखते हुए किया गया है। अतः पी0जी0 की सीटें कम होने के कारण पूर्व की भांति यू0जी0 हेतु भी 90:10 का अनुपात रखा जाना उचित पाया गया।
5. समिति द्वारा भविष्य में बढ़ती मँहगाई के दृष्टिगत होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढॉचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित **Inflation** की दर के आधार पर 07% के हिसाब से आगामी 02 वर्षो तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।
6. समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।
7. उक्त संस्थाओं में से पूर्वान्चल इंस्टीट्यूट ऑफ डेण्टल साइंसेज, गोरखपुर के शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से आडिटेड बैलेन्स शीट प्राप्त न होने के कारण शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है और शासनादेश दिनांक 16.09.2015 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015—16, 2016—17 एवं 2017—18 का शुल्क रू0 2.40 लाख निर्धारित किया गया था। संस्था के प्रतिनिधि द्वारा किये गये अनुरोध एवं बैलेन्स सीट उपलब्ध नहीं कराये जाने के दृष्टिगत पूर्व शैक्षणिक सत्रों में किये गये शुल्क निर्धारण को ही वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2018—19 हेतु इस संस्था का शुल्क रू0 2.40 लाख निर्धारित किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया।

7— फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 15.06.2018 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुतियों के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त शैक्षणिक सत्र 2018—19 एवं 2019—20 के लिए निम्नलिखित

डेण्टल कालेजों का उनके सम्मुख अंकित शुल्क निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	संस्था का नाम	शैक्षणिक सत्र	प्रतिछात्र/प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने वाला शुल्क (धनराशि लाख में)
1	बाबू बनारसी दास कालेज आफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ	2018–19 तथा 2019–20	रू0 3.48
2	डेण्टल कालेज, आजमगढ़।	2018–19 तथा 2019–20	रू0 2.84
3	सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ।	2018–19 तथा 2019–20	रू0 3.42
4	आई0टी0एस0 सेन्टर फार डेण्टल स्टडीज एण्ड रिसर्च, गाजियाबाद।	2018–19 तथा 2019–20	रू0 3.44
5	आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, ग्रेटर नोएडा।	2018–19 तथा 2019–20	रू0 3.24
6	महाराना प्रताप डेण्टल कालेज, कानपुर।	2018–19 तथा 2019–20	रू0 2.96
7	पूर्वान्चल इंस्टीट्यूट ऑफ डेण्टल साइंसेज, गोरखपुर।	2018–19	रू0 2.40

8– उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। सम्बन्धित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

9– उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारित संबंधी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1001(1)/71–4–18–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित डेण्टल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव।

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या–एम0ई0-[illegible]/2018/2457 लखनऊ, दिनांक 21 जून,2018

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 18 जून 2018 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य

1. बाबू बनारसी दास डेंटल कालेज लखनऊ।
2. डेण्टल कालेज आजमगढ़।
3. सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेण्टल साइंसेज लखनऊ।
4. आई0टी0एस0 सेण्टर फार डेण्टल स्टडीज एण्ड रिसर्च, गजियाबाद।
5. आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, ग्रेटर नोयडा।
6. महाराना प्रताप डेण्टल कालेज, कानपुर।
7. पूर्वान्चल इंस्टीट्यूट ऑफ डेण्टल सांइसेज, गोरखपुर।

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक